

खनन प्रशाखा

पत्रांक...1033...

खनन कैमूर

दिनांक...26/7/2016

प्रेषित :-

स्टार नेट मार्केटिंग प्रा० लि०

प्रो० सदाशिव सिंह, पिता

श्री मलेश्वर सिंह

गणेशालय अपार्टमेंट

4 फ्लोर झाड़डीह , धनवादा

आरखंड

विषय :- कैमूर जिलान्तर्गत आरखंड चैनपुर के मौजा मदुरना के प्लॉट संख्या 4084 (P) पर पत्थर भुखंड के निलामी द्वारा बन्दोबस्ती के उपरान्त सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश
महाराज,

उपर्युक्त विषय दिनांक 24/05/16 को कैमूर समाहरणालय में सम्पन्न लोक निलामी में मौजा मदुरना आरखंड चैनपुर धाना चैनपुर प्लॉट सं० 4084 (P) रकबा 20.75 एकड़ में सीमांकित पत्थर भुखंड के लिए आपके द्वारा सुरक्षित जमा राशि 5,00,00,000 (पाँच करोड़ रुपये) के विस्तृत उच्चतम डाक राशि 5,15,00,000 (पाँच करोड़ पन्द्रह लाख) की बोली बोले जाने के कारण आपको सफल डाकबद्धता घोषित करते हुए निम्नांकित शर्तों पर सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत की जाती है।

आप सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के 120 दिनों के अन्दर विहित प्रपत्र फॉर्म डी में खनन पट्टा सौदेदा निम्नलिखित कागजातों के साथ दाखिल करें।

- 1 (क) संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र का माइनिंग प्लान नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तैयार एवं अनुमोदित।
- (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की राज्य स्तरीय समिति (SEEIA) से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण -पत्र।
- (ग) बंदोबस्ती राशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिभूति राशि से संबंधित (अग्रचन एवं डाक के दौरान जमा राशि को समायोजित करते हुए) बैंक ड्राफ्ट।
- (घ) बंदोबस्ती राशि का 20 प्रतिशत राशि प्रथम किस्त का अपने बैंक खाते से बनाये हुए बैंक ड्राफ्ट।
- (ङ) प्रथम किस्त के दो प्रतिशत राशि तथा उसपर देय प्रतिशत अधिभार का आयकर के रूप आयकर विभाग को भुगतये बैंक ड्राफ्ट
- (च) पृथक कोष के रूप में प्रथम किस्त का दो प्रतिशत राशि का जिलाधिकारी को भुगतये बैंक ड्राफ्ट।
- (छ) आवेदित क्षेत्र का मानचित्र की (ग्राम मूल मानचित्र के अनुरूप) ट्रेसिंग क्लाय में तीन प्रति।

23

खनन पट्टा सविदा के निष्पादन के तुरंत बाद निष्पादित पट्टा सविदा का निबंधन कराकर समर्पित करना होगा।

3 बंदोबस्ती राशि के शेष किस्तों का भुगतान की प्रक्रिया :-

बंदोबस्ती राशि का अन्य किस्तों का भुगतान अगले पंचांग वर्ष के 31 जनवरी के पूर्व प्रत्येक वर्ष निम्नवत करना होगा।

द्वितीय किस्त - 31 जनवरी 2017 के पूर्व

तृतीय किस्त - 31 जनवरी 2018 के पूर्व

चतुर्थ किस्त - 31 जनवरी 2019 के पूर्व

अंतिम किस्त - 31 जनवरी 2020 के पूर्व

4 पृथक कोष :-

उत्खनित क्षेत्र के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास हेतु बंदोबस्ती राशि के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान पृथक कोष के रूप में प्रत्येक किस्त के साथ अनुपातिक रूप से जिला पदाधिकारी को भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।

5 आयकर का भुगतान :-

प्रत्येक किस्त के साथ उसके 2 प्रतिशत की राशि एवं देय सरचार्ज का भुगतान आयकर के रूप में करना होगा।

6 भुगतान में अनियमितता :-

यदि किसी किस्त का भुगतान नियमानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो दो महीने तक 24 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रभारित किया जायेगा तथा उसके बाद खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

7 सामान्य शर्तें :-

I. खनिजों की अनुपलब्धता अथवा खनिजों के परिवहन में होने वाले रुकावट के कारण अथवा किसी अन्य कारणों से खनिज के उत्खनन/प्रेषण में बाधा उत्पन्न होने पर राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति की कोई दावा मान्य नहीं होगा।

II. बंदोबस्ती की राशि के समतुल्य पत्थर का उत्खनन करने के उपरान्त अतिरिक्त उत्खनित होने वाले पत्थर पर प्रचलित दर से स्वामित्व का भुगतान करना होगा, जो बंदोबस्ती राशि के अतिरिक्त देय होगा।

III. खनिज के परिवहन हेतु वाहन के चालक को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा मुद्रित /सत्यापित ट्रायनल पास (परिवहन चालान) निर्गत करना होगा, जिसमें क्रेता से वसूली गई राशि अंकित करनी होगी।

IV. पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र से उत्पादित एवं प्रेषित खनिज का विवरण अंकित करते हुए नियमानुसार पंजी संचारित करनी होगी।

V. पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र से उत्पादित एवं प्रेषित खनिज का विवरण अंकित करते हुए विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के मासिक विवरणी अनुवर्ती माह के 15 तारीख तक जिला खनन कार्यालय, कैमूर में नियमानुसार दाखिल करना होगा।

- VI. पत्थर खनन पट्टा स्थल पर नियमानुसार साईन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें खनन, पट्टेधारी का नाम, पता, खनन पट्टा क्षेत्र का विवरण, पट्टा अवधि आदि अंकित रहेगा।
- VII. अपने खनन पट्टा क्षेत्र का सम्पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान नियमानुसार सीमांकन सुनिश्चित करना होगा।
- VIII. खनन पट्टा सविदा के भाग VII की कंडिका 17 के आलोक में कार्य विभागों को प्राथमिकता के आधार पर पत्थर खनिज उपलब्ध कराना होगा।
- IX. सर्वप्रथम विभिन्न कार्य विभागों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पत्थर खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। विभिन्न कार्य विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पत्थर खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही किसी अन्य व्यक्ति को पत्थर खनिज का विक्रय/आपूर्ति किया जायेगा।
- X. बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 यथा संशोधित में वर्णित प्रावधानों तथा उसके तहत माईनिंग प्लान एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों तथा अन्य सभी सुसंगत नियमों/प्रावधानों का पालन करते हुए खनन कार्य किया जायेगा।
- XI. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 यथा संशोधित बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण निवारण) नियमावली, 2003 यथा संशोधित तथा अन्य सभी सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों तथा उसमें होने वाले संशोधनों का पालन करना होगा।
- XII. खनन पट्टा क्षेत्रों में विस्फोटक का इस्तेमाल जिला दण्डाधिकारी, कैमूर से अनुमति प्राप्त फार्मों द्वारा ही किया जायेगा। इस संबंध में विस्फोटक अधिनियम एवं नियमावली के विभिन्न उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। खनन पट्टेधारी को भी अपने खनन पट्टा क्षेत्र में विस्फोटक इस्तेमाल के पूर्व जिला दण्डाधिकारी, कैमूर से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- XIII. पट्टा क्षेत्र में डीप होल ब्लास्टिंग तथा किसी प्रकार की मशीनरी/संयंत्र लगाने के पूर्व Metalliferous Mines Regulations 1961 के नियम 106 (2) (b) के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। Metalliferous Mines Regulations 1961 तथा Mines Act 1952 की सुसंगत धाराओं का अवसरश अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- XVI. पट्टा क्षेत्र में पूर्व का किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति पड़े रहने पर उनका अधिकार वर्तमान बंदोबस्तीधारी का नहीं होगा।

21.11.

XV. खन पट्ट की अवधि निष्पादन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जो पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगी। क्षेत्रधिकार में विलम्ब संबंधी कोई दावा भविष्य में स्वीकार नहीं की जायेगी। निष्पादित दस्तावेज का निबंधन पट्टेधारी द्वारा वांछित शुल्क का भुगतान करते हुए किया जायेगा। निष्पादित पट्टा संविदा का निबंधन नहीं करा पाने की स्थिति में बंदोबस्ती रह कर दी जायेगी।

XVI. खन पट्ट के निष्पादन पूर्व आपको अपने धारित क्षेत्र का सीमांकन कर खन विभाग की संतुष्टि के अनुरूप पक्का सीमा स्तम्भ लगाने संबंधी सपथ पत्र दाखिल करना होगा।

XVII. नियमानुसार Progressive Mine Closure Plan तथा Final Mine Closure Plan प्रस्तुत करना होगा।

समाहर्ता को सरकार के हित में तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए किसी भी समय बन्दोबस्ती रह करने का अधिकार होगा।



समाहर्ता

कैमूर (मधुआ)

Madurna No 167

नाम मौजा मदुरना घाटा न० २

थाना नम्बर १६७

राजस्व थाना भभुआ

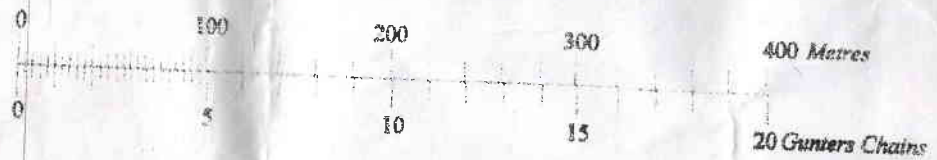
अंचल चैनपुर

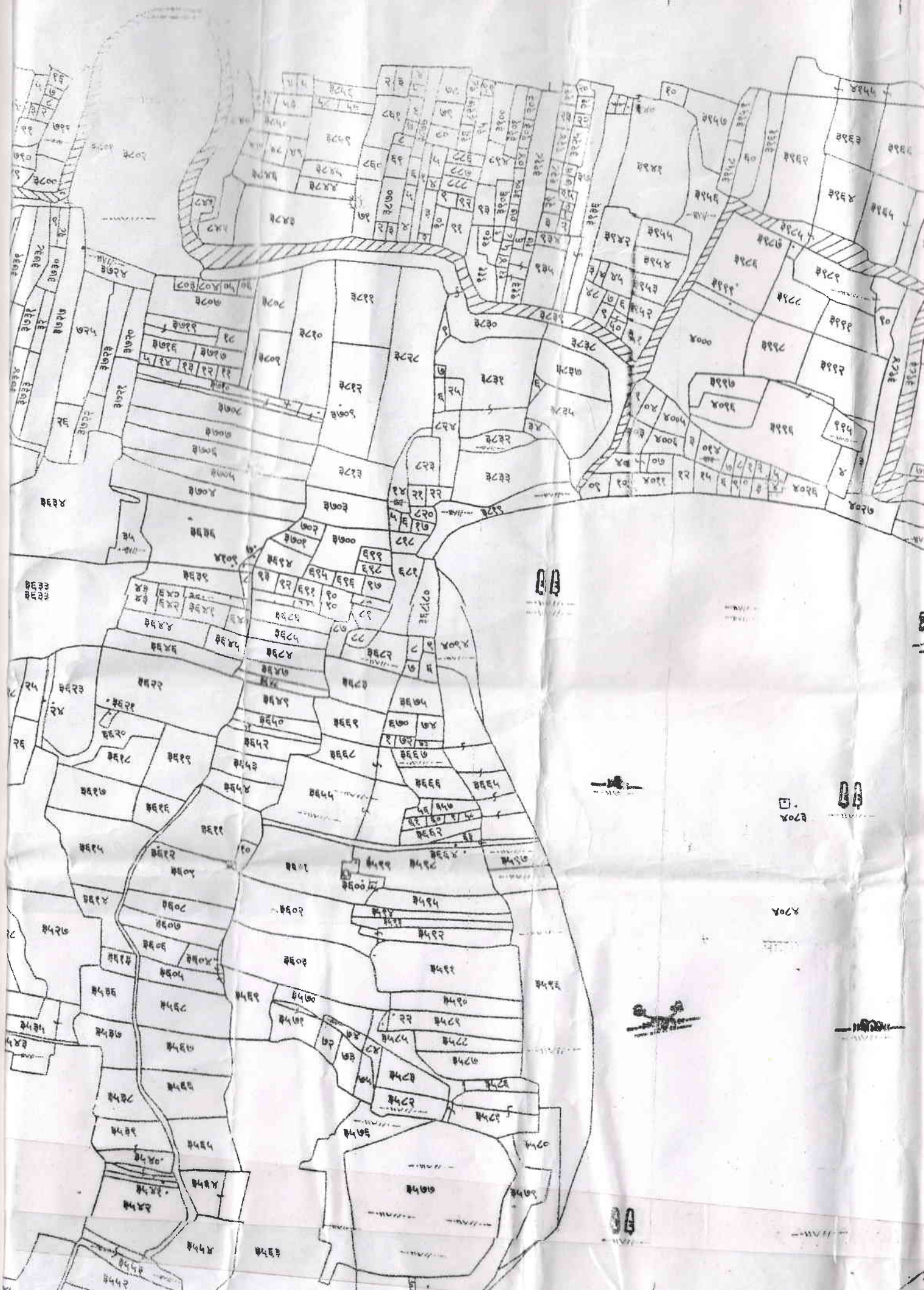
पुलिस थाना चैनपुर

जिला शाहाबाद

पैमाना १ इंच = १ मील (१ सेंटीमीटर = ३९.६० मीटर)
सन १९६८ - ६९ ई०

Conversion Scale





BB

BB

BB

BB

BB